COMMERCIAL UNIT		U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Tel/Fax- 0522-2287030 CIN :U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक – 03/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक : 04, जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– उ0नि0लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को पा0का0लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की समरूपता में उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क के सापेक्ष प्रतिमाह कटौती के सम्बन्ध में।

एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.12.2017 को सम्पन्न हुई 173वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की समरूपता में उनके विद्युत संयोजन पर देय विद्युत शुल्क के सापेक्ष प्रतिमाह कटौती के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैः–

1. उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके विद्युत उपभोग के विरूद्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समान पूर्व की भॉति विद्युत सुविधा निदेशक मण्डल के अगले निर्णय तक अन्तरिम रूप से जारी रखी जाये।
2. उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवारत कार्मिकों के मासिक वेतन से प्रतिमाह पूर्व की भॉति उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्मिकों के समतुल्य धनराशि समय–समय पर निर्धारित श्रेणीवार दर बीजक धनराशि के रूप में कटौती की जाये तथा उस धनराशि को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विवरण के साथ प्रेषित कर दिया जाये।
3. (अ) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों से विद्युत शुल्क के मद में वसूली के दृष्टिगत उनसे प्रतिमाह उ0प्र0पा0का0लि0 के समतुल्य समय–समय पर निर्धारित श्रेणीवार धनराशि उनके पेंशन आदेश संख्या/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या/विद्युत संयोजन संख्या (यथायोज्य) के सापेक्ष उ0नि0लि0 के समस्त परियोजनाओं तथा लखनऊ मुख्यालय पर जमा कराकर सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/ पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को रसीद जारी की जाये तथा इस मद की धनराशि को विवरण के साथ पा0का0लि0 को प्रेषित कर दिया जाए।

   (ब) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस/पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर जो सीधे उ0प्र0पा0का0लि0 को विद्युत भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए विद्युत शुल्क जमा करने के लिए प्रकिया निर्धारण हेतु पा0का0लि0 को अनुरोध किया जाता है कि वह पा0का0लि0 की भॉति उ0नि0लि0 के भी सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/ पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को विद्युत शुल्क जमा करने सम्बन्धी आदेश अपने स्तर से निर्गत करें।
4. वास्तविक विद्युत बिलिंग की धनराशि तथा उपरोक्तानुसार जमा धनराशि के गैप को उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 द्वारा प्रस्तुत विद्युत सप्लाई के बिल में से उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा समायोजित किया जायेगा।

निदेशक मण्डल
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

Desktop /Office letter Folder/CE (C) – E
452

COMMERCIAL UNIT

U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
14th floor, Shakti Bhawan Extn.
Lucknow-226001
Tel/Fax- 0522-2287030
CIN :U40101UP1980SGC005065
E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक – 03/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक : 04 , जनवरी , 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (परि0 एवं वा0/तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, 6 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उ0नि0लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस/ पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को विद्युत शुल्क जमा करने सम्बन्धी आदेश अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें।
5. मुख्य अभियंता (परियोजना समन्वयक), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, अनपरा, ओबरा, पनकी, पारीछा, हरदुआगंज तापीय परियोजनायें, सोनभद्र, कानपुर, झॉसी, अलीगढ़।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन/ईंधन/आर0 एण्ड एम0/पी0पी0एम0एम0/पर्या0 एवं सुरक्षा/जानपद– नव परि0/ मानव संसाधन/प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, 4 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 9 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0नि0लि0, गामती नगर, लखनऊ इस आदेश को उ0नि0लि0 की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध के साथ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, समस्त डिस्काम/उ0प्र0पा0का0लि0, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0।
12. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धक इकाई), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

(श्याम नारायण)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)